अत्यावश्यक

राजस्थान सरकार
चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

क्रमांक: 196 दिनांक: 19-8-2011

निदेशक, जन स्वास्थ्य,
स्वास्थ्य भवन, राजस्थान जयपुर

विषय : – माननीय मुख्यमंत्री की बजट घोषणा के बिन्दु सं. 47–48 की अनुपालना में स्थापित किए जाने वाले जिला औषधि भण्डार गृहों (DDWs) सं0 –34 के सुदृढीकरण हेतु प्रस्तावित प्रावधित राशि रू. 3.40 करोड़ के उपयोग के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि वर्ष 2011–12 में मा0 मुख्यमंत्री की बजट घोषणा के बिन्दु संख्या 47–48 की अनुपालना में राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कार्पोरेशन (RMSC) का गठन किया जाकर दिनांक 02.10.2011 से राज्य के समस्त राजकीय चिकित्सालयों में सर्वाधिक उपयोग में आने वाली आवश्यक दवाईयां निःशुल्क उपलब्ध करवाई जानी है।

उक्त बजट घोषणा की अनुपालना में आर.एम.एस.सी द्वारा क्रय की जा रही औषधियों के जिला स्तर पर भण्डारण हेतु राज्य के समस्त जिलों में जिला औषधि भण्डार गृहों (**DDWs**) की स्थापना **RHSDP** के अन्तर्गत की गई है या की जा रही है। उक्त 34 जिला औषधि भण्डार गृहों (**DDWs**) को सुसज्जित यथा आवश्यकतानुसार दीवारों व छत की मरम्मत, वाटर प्रूफिंग, रंगाई–पुताई, सूचनापटट्, विद्युत फिटिंग्स, एसी इन्सटालेशन, कम्प्यूटर फिटिंग, इर्न्वटर की व्यवस्था, पेयजल की व्यवस्था, आवश्यकतानुसार फर्नीचर , फिक्चर्स व रेक्स का क्रय, कीट नियंत्रण, फाईबर सीट, एक्जास्ट पंखे आदि आवश्यक कार्य करवाने के लिये प्रत्येक **DDWs** के लिये राशि रू @ 10 लाख के अनुसार अतिरिक्त बजट प्रावधान हेतु प्रस्ताव वित्त विभाग मे विचाराधीन है। उक्त प्रस्तावित अतिरिक्त आंवटन बजट शीर्षवार सैद्धान्तिक रूप से वित्त विभाग के समक्ष स्तर से अनुमोदित है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त समस्त अतिरिक्त बजट प्रावधान मुख्य बजट शीर्ष 2210 एवं संबंधित विभिन्न उप बजट शीर्षो 01 से 03 से संबन्धित है एवं इसके प्रस्ताव भी आपके द्वारा एकल पत्रावली पर विता विभाग को प्रेषित किये गये है। अतिरिक्त बजट प्रावधानों का वित्त विभाग से अनुमोदन प्राप्त होते ही बजट आवंटन की कार्यवाही पृथक से की जानी है।

उक्तानुसार जिला औषधि भण्डार गृहों (**DDWs**) का सुदृढीकरण करवाना सुनिश्चित कराएँ क्योंकि अद्यतन **DDWs** का प्रशासनिक नियंत्रण संबन्धित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन हैं।

अतः निर्देशित किया जाता है कि उक्तानुसार अनुच्छेद 2 के अनुसार कार्यवाही करने हेतु संबन्धित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को आवश्यक निर्देश प्रदान करें ताकि जिला औषधि भण्डार गृहों को 10 सितम्बर 2011 तक सुसज्जित कराया जाकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा की क्रियान्वति सफलतापूर्वक की जा सकें।

इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान कराएँ।

प्रमुख शासन सचिव
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, आरएमएससी, जयपुर, राजस्थान।
2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी / प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजस्थान समस्त।
3. रक्षित पत्रावली।

विशिष्ट शासन सचिव
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ